## न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील सख्याः–39/2018**

1. मोतीराम दत्तक पुत्र लिखमाराम जाट, निवासी टेहठ, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।

**––अपीलान्ट**

**बनाम**

1. कानाराम पुत्र नानूराम जाट, निवासी टेहठ, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर (फौत)(नाम हजफ)
2. उग्रादेवी पत्नी श्री भगवाना जाट,
3. बल्लूदेवी पत्नी श्री उदाराम जाट, निवासीगण पुरा छोटी, तहसील सीकर, जिला सीकर।
4. मोहनी पत्नी श्री सुभाषचन्द,
5. सोहनी पत्नी श्री बीरबल, जाति जाट, निवासीगण खोरा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।

**––रेस्पोडेन्ट्स**

**निर्णय**

**दिनांकः 14.03.2018**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ के आदेश दिनांक 28.08.2017 (प्रकरण संख्या 6/2017 पुराने नम्बर 32/2008) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि कानाराम के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील के निर्णय दिनांक 30.10.2002 के अनुसार अपील स्वीकार कर अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, दांतारामगढ का निर्णय दिनांक 28.02.95 तथा भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर का निर्णय दिनांक 14.03.97 को निरस्त कर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वे पक्षकारान को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 11.03.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ सोहनी देवी, मोहनी देवी, नुंदाराम, पन्नालाल, मूलचन्द के प्रस्तुत किये एवं पत्रावली बहस हेतु नियम की गई, दिनांक 28.09.2015 को अपीलान्ट मोतीराम ने एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो उसी दिन स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई एवं प्रकरण को साक्ष्य जिरह में रखा गया, तत्पश्चात् प्रकरण जिरह में चलती रही एवं दिनांक 19.04.2017 को पत्रावली साक्ष्य जिरह की बजाय बहस में ले ली गई एवं प्रकरण बहस में चलता रहा, दिनांक 11.08.2017 को वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रकरण बहस में न होकर साक्ष्य जिरह में है इसलिए प्रकरण में जिरह का

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अवसर दिया जावे जिस पर दिनांक 23.08.2017 को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं प्रकरण की बिना सुनवाई किये अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बगैर दिनांक 28.08.2017 की तारीख अंकित कर प्रकरण को निर्णित कर दत्तक पुत्र मानते हुए कानाराम के वारिसान के नाम अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो विरूद्ध कानून एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बगैर विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 का नाम अपीलान्ट के स्थान पर दर्ज करने के निर्देश पारित करने मे विधिक भूल की है जिससे उक्त अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया है कि कानाराम के पास कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज गोदनामा नही होते हुए भी कानाराम द्वारा विवादग्रस्त भूमि का अपनी पुत्रियों के पक्ष में दानपत्र किया है, जबकि कानाराम को उक्त दानपत्र करने का कोई विधिक अधिकार नही था क्योंकि मामला विवादित था तथा भूमि की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए कानाराम की पुत्रियों के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज करने का आदेश पारित करने में विधिक भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने महज फोटो पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत के दस्तावेजात के आधार पर कानाराम को लिखमाराम का दत्तक पुत्र मान लिया जबकि प्रकरण में यह कही भी स्पष्ट नही हुआ कि लिखमाराम ने कानाराम को कब, किस तिथि को, किसके सामने गोद लिया था क्योंकि लिखमाराम का वास्तवित दत्तक पुत्र अपीलान्ट मोतीराम ही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ही कानाराम को दतत्क पुत्र माना है जो कि विधि विरूद्ध एवं गौर कानूनी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निरस्तारण करते हुए सीधे ही तहसीलदार दांतारामगढ को नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के निर्देश दिये है जबकि धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत विवादित नामान्तरकरण के मामले में तहसीलदार द्वारा प्रकरण की जांच कर नामान्तरकरण सम्बन्धित कार्यवही की जाती है जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय कानूनी तथ्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नही होकर महज अनुमान पर आधारित है जबकि न्यायालय को निर्णय केवल कानूनी तथ्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर करना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कानूनी बिन्दुओं को अनदेखा करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी लिखमाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है, लिखमाराम के फौत हो जाने पर फूलकी बेवा लिखमाराम के नाम उपरोक्त भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई तथा फूलकी बेवा लिखमाराम के फौत होने पर कानाराम दत्तक पुत्र लिखमा राम के उपरोक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 291 दिनांक 23.02.1977 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तथा कानाराम ने जरिये दानपत्र से उपरोक्त भूमियॉ अपनी चारों पुत्रीयों के नाम करवा दी उसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 291 खारिज किये जाने के पश्चात् खातेदारी पुनः आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज हो गयी इसके पश्चात् निर्णय दिनांक 29.09.93 से पुनः खातेदारी रेस्पोडेन्ट के पिता कानाराम दत्तक पुत्र लिखमाराम के जरिये नामान्तरकरण संख्या 82 से दर्ज हो गयी, इस प्रकार पुनः अपील संख्या 36/93 निर्णय दिनांक 19.03.94 से नामान्तरकरण संख्या 82 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया तथा रिमाण्ड होकर पुनः सुनवाई जारी रही तथा साहयक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा फूलकी बेवा लिखमा के स्थान पर मोतीराम दत्तक पुत्र लिखमा जाति जाट दर्ज कर दिया, इसके पश्चात् सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.95 को निष्प्रभावी मानते हुए नामान्तरकरण संख्या 82 में यह नोट अंकित किया है कि दिनांक 30.01.95 को भू प्रबन्ध संक्रियाऐं बन्द हो जाने के कारण तथा नोट दिनांक 30.06.94 को दांतारामगढ के नामान्तरकरण राज्य सरकार ने बन्द हो गये है, अतः दिनांक 28.02.95 के फैसले के नोट को खारिज समझा जावें तथा कानाराम दत्तक पुत्र लिखमा जाति जाट, सा. देह के नाम पढ़ा जावे, इन भूमियों की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के पिता कानाराम दत्तक पुत्र लिखमाराम के दर्ज हो गयी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी झुन्झुनू के आदेश दिनांक 28.02.95 की अपील भू प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर ने अपील संख्या 46/95 निर्णय दिनांक 14.03.97 में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 28.02.95 को अधिकार क्षेत्र से परे मानते हुए निर्णय दिनांक 28.02.95 को निरस्त कर दिया, जिसकी अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहॉ अपीलान्ट मोतीराम ने निर्णय दिनांक 14.03.97 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 30.10.2002 द्वारा निर्णय दिनांक 28.02.95 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी तथा निर्णय दिनांक 14.03.97 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी तथा निर्णय दिनांक 14.03.97 न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया है कि पक्षकारान को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है जिसके सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील दायर हुऐ है तथा न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 30.10.2002 से प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज, अजमेर के निर्णय दिनांक 30.10.2002 की पूर्ण पालना कर पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।